.8/22

पत्रावली पेश हुई । पीठासीन अधिकारी दीगर कार्यों मे व्यस्त है, मिसल इल्तबा होकर पत्रावली पुर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 18/8/22 को पेश हो।

18/8/22

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उप० विप्रार्थीगण के [illegible] प्राप्त होने के बावजूद भी [illegible] ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ अतः उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रार्थी वकील ने व्यक्त अनवान पर बहस सुनने का

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.27 15:10:11 IST
Reason: SelfAttested

निवेदन किया। प्रार्थी/वकील की बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य है।

अतः नेरबसनवी आदेश अलग से लिखकर शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली तैमिल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सरंजाम से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.27 15:10:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थी		विप्रार्थीगण
1. ताजू पुत्र हाफद जाति मुसलमान निवासी छोटा बीसासर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।	**बनाम**	1. अकबर 2. जाम पि. सालेमोहमद 3. कलीमुला पुत्र सुलेमान 4. जीयण 5. मनही 6. हकीम 7. लुकमान 8. सिदिक पि. सादुल 9. सलीमत पत्नी सादुल 10. दाऊ 11. निहाल 12. रमजान 13. राजबाई 14. सतार 15. हनीफ 16. हाजी 17. हारूण पि. अब्दुलकरीम 18. वरीयाम पुत्र जारू 19. वसन्द पुत्र सुलेमान 20. अयुब पुत्र आरब 21. आसीयत पत्नी आरब 22. एहसान 23. गुलाब 24. मेहरान पि. सुराह 25. नुरा 26. नियामतुला 27. बसाया 28. मिसरी पि. आरब 29. चना 30. जुड़िया 31. भगवाना पि. चेतन 32. रमजान 33. खमीशा 34. उरसा 35. ईसा 36. मुसा पि. लुकमान 37. रामतुला 38. हबीब खां 39. दीनदयाल पि. भाईखान 40. गुलामनवी 41. जुसब 42. फता 43. हासम पि. उमेदअली 44. रमदान 45. हबीब पि. आसीयत 46. फोटा 47. लतीफ 48. सजन पि. हयात 49. मीहबाई पत्नी उमेदअली 50. जेनब पत्नी नुरा 51. झुड़ाराम पुत्र चेतनराम 52. खमीशा पुत्र हयात 53. लाछा पत्नी सुराह 54. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सेड़वा जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत्।

राजस्व आवेदन संख्या 225/2022 दिनांक : 18.08.2022

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र बीसासर भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सारला के मौजा छोटी बीसासर के खेत खसरा संख्या 571/290 रकबा 8.0937 हैक्ट. किस्म बारानी दोयम के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

क्रमांक/भू.अ./2022/ 1760 – 64 दिनांक 18/8/22

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ–

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी ताजू पुत्र हाफद।
3. विप्रार्थीगण अकबर पुत्र सालेमोहमद वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/धोरीमन्ना।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.27 15:10:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 225/2022 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

ताजू बनाम अकबर वगैरा

पीठासीन अधिकारी –श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रार्थी वकील – मोहनलाल खिलेरी

निर्णय

दिनांक – 18.08.2022

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र बीसासर भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सारला के मौजा छोटी बीसासर के खेत खसरा संख्या 571/290 रकबा 8.0937 हैक्ट. किस्म बारानी सोयम स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड़डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार की तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र बीसासर भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सारला के मौजा छोटी बीसासर के खेत खसरा संख्या 571/290 रकबा 8.0937 हैक्ट. किस्म बारानी सोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरें की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

बाद पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2022 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.27 15:10:11 IST
Reason: SelfAttested

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा